

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सिटीजन चार्टर बनाये जाने के सम्बंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अधिनियम की धारा-4(1)बी में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुख्यालय के सम्बंध में सूचना।

<p>(4) लोक प्राधिकारियों की बाध्यतायें-1 प्रत्येक लोक अधिकारी (क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है। और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित हैं, युक्ति-युक्त समय के भीतर हैं और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्ध हैं, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके।</p>	<p>पुलिस की वेब साइट पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ.प्र. लखनऊ की सूचना उपलब्ध है।</p>
<p>(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन के एक सौ बीस दिन के भीतर (I) अपने संगठन विशिष्टियों कृत्य और कर्तव्य</p>	<p>भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र. लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या:2049/8-1-64/76 दिनांकित 18.04.1977 के अनुसार - 1- भ्रष्टाचार 2- बलात् 3- जानबूझकर बदला लेने तथा परेशान करने की प्रवृत्ति 4- बुरे नियत से आपातकालीन विशेष अधिकारों का दुरुपयोग विषयक जांच एवं संगठन द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र करके ऐसे लोगों को पकड़ने के लिये नियमानुसार ट्रैप भी डालेंगे। उक्त के अतिरिक्त शासन तथा विभागाध्यक्षों एवं पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ के स्तर से प्राप्त जांच एवं विवेचनाओं का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।</p>
<p>(II) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और</p>	<p>उ.प्र. शासन आदेश संख्या:3886/छ:पु.से.-2-99-522(5)/84 दिनांकित 22.10.1999</p>

कर्तव्य-	द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक का पद सृजित किया गया है तथा शासनादेश संख्या:3886/छ:पु.से.-2-99-522(5)/84 दिनांकित 22.10.1999 के द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित करते हुये वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया।
(III) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व में माध्यम से सम्मिलित है-	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र. लखनऊ द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नीति के अनुसार किया जाता है।
(IV) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र. लखनऊ के अधीनस्थ इकाईयों द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर शासन की नीति/ प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा तदुसार उच्चाधिकारियों द्वारा निर्णय किया जाता है एवं तदुसार कार्यवाही हेतु इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये जाते हैं।
(V) अपने द्वारा या अपने नियंत्रण धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अंग है, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध जांच हेतु सशक्त है। शासनादेशों एवं मैनुअल के अनुरूप ही संगठन कार्य करता है। विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु कार्य योजनाएं लागू की गयी हैं।
(VI) ऐसे दस्तावेजों के जो, उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण-	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र.लखनऊ जांच एवं विवेचनाओं के अभिलेखों को श्रेणी में सूची बद्ध किया गया है। सामान्य प्रशासनिक कार्यों के सम्बन्ध में कोई गोपनीयता की श्रेणी नहीं रखी गयी है।
(VII) किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है-	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र.लखनऊ और जनता के बीच सीधा सम्पर्क नहीं है, परन्तु भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जागरूकता कार्यक्रम जनपदों के माध्यम से चलाया जाता है।
(VIII) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है क्या उन बोर्डों परिषदों, समितियों, और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी	लागू नहीं।

बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण-

(IX) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र. लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

क्र०सं०	नियतन	पदनाम
1	1	अपर पुलिस महानिदेशक,
2	1	पुलिस महानिरीक्षक,
3	2	पुलिस उपमहानिरीक्षक,
4	1	पुलिस अधीक्षक,
5	3	अपर पुलिस अधीक्षक,
6	16	पुलिस उपाधीक्षक,
7	1	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
8	1	अभियोजन अधिकारी,
9	90	निरीक्षक,
10	-	निरीक्षक(गोपनीय)
11	20	उपनिरीक्षक(गोपनीय)
12	-	निरीक्षक(लिपिक)
13	8	उपनिरीक्षक(लिपिक)
14	-	उपनिरीक्षक(लेखा)
15	-	सहायक उपनिरीक्षक(लेखा)
16	12	सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)
17	-	उपनिरीक्षक ना०पु०
18	3	मुख्य आरक्षी
19	83	आरक्षी
20	-	डिस्पैच राइडर
21	1	मुख्य आरक्षी परिवहन
22	18	आरक्षी चालक/मुख्य आरक्षी चालक

		23	-	कम्प्यूटर आपरेटर(ग्रेड-प्रथम) सम्बद्ध
		24	21	ओ.पी./पी.ओ.पी. (चतुर्थ श्रेणी)
		25	1	दफ्तरी
		26	1	सफाई कर्मी
		27	1	वाटरमैन कम माली

(X) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके निनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलत है।-

भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र.लखनऊ में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान का विवरण

क्र०सं०	पद नाम	वेतनमान
1	अपर पुलिस महानिदेशक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.	67000-79000 एचएजी
2	पुलिस महानिरीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.	37400-67000 ग्रेड पे- 10000/-
3	पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.	37000-67000 ग्रेड पे- 8900/-
4	पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.	15600-391000 ग्रेड पे- 6600/-
5	अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.	15600-391000 ग्रेड पे- 6600/-
6	पुलिस उपाधीक्षक, भ्र.नि.सं.	15600-391000 ग्रेड पे- 5400/-
7	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	15600-391000 ग्रेड पे- 6600/-
8	अभियोजन अधिकारी	15600-391000 ग्रेड पे- 6600/-
9	निरीक्षक	9300-34800 ग्रेड पे- 4600/-
10	उ.नि.एम./आशुलिपिक	9300-34800 ग्रेड पे- 4200/-
11	उ.नि.एम./आंकिक/प्रधान लिपिक	9300-34800 ग्रेड पे- 4200/-
12	सहायक उ.नि.एम.	5200-20200 ग्रेड पे- 2800/-
13	मुख्य आरक्षी	5200-20200 ग्रेड पे- 2400/-
14	आरक्षी	5200-20200 ग्रेड पे- 2000/-
15	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200 ग्रेड पे- 1800/-

(XI) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययो और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए

शून्य

अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट-																																
(XII) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है-	शून्य																															
(XIII) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ-	उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।																															
(XIV) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे, जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो-	<table border="1" data-bbox="856 500 1997 1336"> <thead> <tr> <th data-bbox="856 500 953 548">क्र०सं०</th> <th data-bbox="953 500 1409 548">कार्य</th> <th data-bbox="1409 500 1709 548">कार्यवाही किस स्तर से</th> <th data-bbox="1709 500 1997 548">समयावधि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="856 548 953 683">1</td> <td data-bbox="953 548 1409 683">सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना</td> <td data-bbox="1409 548 1709 683">अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ</td> <td data-bbox="1709 548 1997 683">प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक(राजकीय अवकाश को छोड़कर)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="856 683 953 724">2</td> <td data-bbox="953 683 1409 724">सूचना निरीक्षण करने का स्थान</td> <td data-bbox="1409 683 1709 724">उपरोक्त</td> <td data-bbox="1709 683 1997 724">उपरोक्त</td> </tr> <tr> <td data-bbox="856 724 953 764">3</td> <td data-bbox="953 724 1409 764">सूचना प्रदान किये जाने का स्थान</td> <td data-bbox="1409 724 1709 764">उपरोक्त</td> <td data-bbox="1709 724 1997 764">विलम्बतम 30 दिवस</td> </tr> <tr> <td data-bbox="856 764 953 987">4</td> <td data-bbox="953 764 1409 987">सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि(रु० 10/- प्रथम घण्टा उसके पश्चात् रु० 05/- प्रति 15 मिनट, सूचना के लिये रु० 50/- प्रति सीडी तथा छपे दस्तावेजों के वास्तविक लागत पर)</td> <td data-bbox="1409 764 1709 987">भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक</td> <td data-bbox="1709 764 1997 987">विलम्बतम 30 दिवस</td> </tr> <tr> <td data-bbox="856 987 953 1162">5</td> <td data-bbox="953 987 1409 1162">सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराये जाने वाली राशि का विवरण (रु० 10/- प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)</td> <td data-bbox="1409 987 1709 1162">भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक</td> <td data-bbox="1709 987 1997 1162">विलम्बतम 30 दिवस</td> </tr> <tr> <td data-bbox="856 1162 953 1336">6</td> <td data-bbox="953 1162 1409 1336">अभिलेखीय सूचना रु० 02/- प्रति पृष्ठ की दर से</td> <td data-bbox="1409 1162 1709 1336">भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक</td> <td data-bbox="1709 1162 1997 1336">विलम्बतम 30 दिवस</td> </tr> </tbody> </table>				क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही किस स्तर से	समयावधि	1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ	प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक(राजकीय अवकाश को छोड़कर)	2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त	3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिवस	4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि(रु० 10/- प्रथम घण्टा उसके पश्चात् रु० 05/- प्रति 15 मिनट, सूचना के लिये रु० 50/- प्रति सीडी तथा छपे दस्तावेजों के वास्तविक लागत पर)	भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	विलम्बतम 30 दिवस	5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराये जाने वाली राशि का विवरण (रु० 10/- प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	विलम्बतम 30 दिवस	6	अभिलेखीय सूचना रु० 02/- प्रति पृष्ठ की दर से	भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	विलम्बतम 30 दिवस
क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही किस स्तर से	समयावधि																													
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ	प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक(राजकीय अवकाश को छोड़कर)																													
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त																													
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिवस																													
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि(रु० 10/- प्रथम घण्टा उसके पश्चात् रु० 05/- प्रति 15 मिनट, सूचना के लिये रु० 50/- प्रति सीडी तथा छपे दस्तावेजों के वास्तविक लागत पर)	भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	विलम्बतम 30 दिवस																													
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराये जाने वाली राशि का विवरण (रु० 10/- प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	विलम्बतम 30 दिवस																													
6	अभिलेखीय सूचना रु० 02/- प्रति पृष्ठ की दर से	भ्र.नि.सं. उ.प्र.लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	विलम्बतम 30 दिवस																													
(XV) सूचना अभिप्राप्त करने के नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र. लखनऊ में लाइब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग पुलिस कर्मियों के लिये ही सीमित है। कार्यालय में सीमित स्थान में होने के कारण सामान्य जनता के लिये लाइब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है।																															

तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है-	
(XVI)लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ--	<p>1- जन सूचना अधिकारी: श्री जितेन्द्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, सप्तम तल, टावर-3, पुलिस भवन, गोमतीनगर विस्तार-7, लखनऊ-226002, मोबाइल नम्बर 9454401130</p> <p>2- प्रथम अपीलीय अधिकारी: श्री दया राम, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, सप्तम तल, टावर-3, पुलिस भवन, गोमतीनगर विस्तार-7, लखनऊ-226002, मोबाइल नम्बर 9454400431</p>
(XVII) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जो-	शून्य